80

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-605-तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-02-08 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 165/अपील/2003-04

.....

1- सुरेन्द्र सिंह तनय स्व. लखपती सिंह

2- बृजनन्दन सिंह तनय जवर सिंह

3- मोतीलाल सिंह तनय रामकृपाल

निवासीगण- ग्राम चकरहनटोला, थाना नईगढ़ी

तहसील मऊगंज, जिला-रीवा(म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

----------अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अजय चतुर्वेदी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06-04-18 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-02-08 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त रामपुर ने पत्र 233/2002 दिनांक 06.03-02 से तहसीलदार मऊगंज को

प्रेषित कर अवगत कराया कि आराजी क्रमांक 61/1 रकबा 15.00 एकड़ का नामांतरण तहसीलदार के द्वारा दिनांक 11-09-2000 को किया गया है, जो संदिग्ध है, उक्त आदेश की जांच की जाये। तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 07-10-02 से विवादित आराजी को मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 16-12-03 से निरस्त् की गई । अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 04-02-08 से अपील निरस्त की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण को तहसीलदार द्वारा विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था। आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के व्वस्थापन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत प्रश्नाधीन भूमि को मध्यप्रदेश शासन दर्ज करने के आदेश दिये है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने भी उचित माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार निगरानी में प्रकट नहीं होते।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-02-08 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,